संख्या:117/2016/480/35-4-2016

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जालौन/झांसी/ललित□र/बांदा/
महोबा/चित्रकूट/हमीर□र।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक 31 मार्च,2016

विषय: वर्ष 2015-16 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उ□र्युक्त विषय □र मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जन□द जालौन/झांसी/ ललित□र/बांदा/महोबा/चित्रकूट/हमीर□र में रिबोर हैण्ड□म□ों के अधिष्ठा□न से संबंधित कार्यों की निम्नांकित विवरण के अनुसार जिसकी लागत का कुल योग रू. 2085.40 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) होता है, □र प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रू□ में रू. 417.08 लाख (रू□ये चार करोड़ सत्रह लाख आठ हजार मात्र) आ□के निवर्तन □र रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्य□ाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस कार्य के लिए कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम होगी :-

(लाख रू. में)

	जन□द	हैण्ड□म□ों की संख्या	हैण्ड□म□ अधिष्ठा□न का क्षेत्र	क्षेत्रवार हैण्ड□म□ों की संख्या	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
1	जालौन	400	□ठारी	60	52.81	10.56
			मैदानी	340	178.52	35.70
2	झांसी	446	□ठारी	395	237.92	47.58
			मैदानी	51	21.71	4.34
3	ललित□र	616	चट्टानी	616	379.10	75.82
4	बांदा	813	□ठारी	220	142.51	28.50
			मैदानी	593	287.88	57.58
5	महोबा	575	चट्टानी	575	363.28	72.66
6	चित्रकूट	336	चट्टानी	336	228.08	45.62
7	हमीर□र	341	□ठारी	54	48.68	9.74
			मैदानी	287	144.91	28.98
	योग	**3527**		**3527**	**2085.40**	**417.08**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- स्वीकृत धनराशि का उ□योग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से □ूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य □रियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- शासनादेश संख्या-10/2015-427/35-1-2015 दिनाँक 10 अप्रैल,2015 के क्रम में उक्त कार्य का अनुश्रवण ई-□रियोजना प्रबंधन के अंतर्गत किया जायेगा। इसके लिये निम्नलिखित सूचनायें स्वीकृति निर्गत होने के एक □क्ष के अन्दर शासन को अवश्य उ□लब्ध करा दी जाये:-

अ- □रियोजना प्रबन्धक का नाम/□दनाम

ब- □रियोजना प्रबन्धक का मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी
(□रिवर्तन होने □र अद्यावधिक सूचना शासन को उ□लब्ध कराई जाये)

स- □रियोजना प्रारम्भ हाने की अनुमानित/वास्तविक तिथि

द- □रियोजना □ूर्ण करने की अनुमानित तिथि

4- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक □क्ष में □रियोजना को अलग-अलग चरणों में विभाजित करते हुये प्रत्येक चरण को □ूर्ण करने की संभावित तिथियों का निर्धारण किया जायेगा। यह कट-आफ तिथियाँ माइलस्टोन के रू□ में जानी जायेगी। इन माइलस्टोन्स में टेण्डर प्रक्रिया, अन्य विभागों से आवश्यक स्वीकृतियाँ/ अना□त्तियाँ, निर्माण कार्य के अलग-अलग चरण, उ□करण क्रय, सृजित अवस्था□ना को संबंधित विभाग को हस्तान्तरित कर क्रियाशील बनाना आदि सम्मिलित होगा। इसी आधार □र कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा शासन द्वारा आनलाइन वेब □ोर्टल के माध्यम से की जायेगी।

5- प्रश्नगत हैण्ड□म□ों का रिबोर निर्धारित मानक के अनुसार किया जायेगा।

4- जिलाधिकारी द्वारा जन□द में रिबोर होने वाले हैण्ड□म□ों के लिये नियमानुसार लगने वाले स्थानो की सूची अधिकृत कार्यदायी संस्था को प्रदान की जायेगी ।

5- हैण्ड□म□ों के रिबोर से □ूर्व स्थलीय निरीक्षण उ□रांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी।

6- प्रश्नगत कार्यों के लिए नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

7- □रियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक / डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उ□लब्ध करायी जायेगी।

9- स्वीकृत धनराशि का उ□योग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2016 तक □ूर्णरू□ेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2016 से □ूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का □ूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2016 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

http://sfdsamadhan.up.nic.in

10- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार □र मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के □श्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2016 तक स्वीकृत धनराशि के सा□क्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्या□ित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

11- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणात्मक कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा।

12- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उ□करणों का क्रय सुसंगत स्टोर □रचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरू□ गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से □रा किया जायेगा। इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड □ार्टी निरीक्षणकर्ता को भी अ□क्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

13 - स्वीकृत धनराशि के सा□क्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अ□क्षित विवरण उ□लब्ध कराने का दायित्व जिलाधिकारी का होगा और उनके द्वारा तदनुसार नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी ।

14 - □रसिम□त्ति के सृजन के उ□रांत इसके रखरखाव हेतु सम्बंधित ग्राम □ंचायत को हस्तगत कर दिया जायेगा।

15 - अवमुक्त धनराशि का निर्धरित प्रारू□ □र उ□योगिता प्रमाण-□त्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उ□लब्ध कराया जायेगा।

16 - निर्माण कार्यों को निर्धारित विशिष्टियों/मानकों के अनुरू□ □र्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में □र्ण किया जायेगा। अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का □र्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

17- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अना□त्तियों एवं □र्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा

18 - त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनु□ालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उ□र्युक्त मद □र होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40- आयोजनागत-लेखाशीर्ष-4215-जल□ूर्ति तथा सफाई □र □ूंजीगत □रिव्यय- आयोजनागत-01- जल□ूर्ति-102-ग्रामीण जल□ूर्ति-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-01- जल□ूर्ति कार्यक्रमों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-350(1)/दस-2016 दिनांक31 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:117/2016/480(1)/35-4-2016 तददिनांक

प्रतिलिि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार, लेखा रीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3-प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास/नगर विकास/कृषि वि णन।
4-प्रमुख सचिव, वित्त।
5-निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6-मण्डलायुक्त, वाराणसी।
7-मुख्य विकास अधिकारी, जालौन/झांसी/ललित ुर/बांदा/
महोबा/चित्रकूट/हमीर ुर ।
8-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
9-वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन/झांसी/ललित ुर/बांदा/
महोबा/चित्रकूट/हमीर ुर ।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जालौन/झांसी/ललित ुर/
बांदा/महोबा/चित्रकूट/हमीर ुर।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in